

प्रमाण-पत्र संख्या- 5

कार्यालय जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी जनपद

सामान्य निवास प्रमाण-पत्र

(केवल सेवायोजन/शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ)

कार्यालय उपजिलाधिकारी जनपद तहसीलदार श्री
..... की आख्या दिनांक के एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है
कि :-

श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पति श्री
निवासी मकान नम्बर
ग्राम/मोहल्ला
थाना जनपद
उत्तर प्रदेश का/की निवासी है।
व उनका वर्तमान पता
..... है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा कराई गई सूचना तथा इनसे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

नोट :- उपर्युक्त प्रमाण-पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह हो अथवा इन पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचरार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर

उपजिलाधिकारी

.....
.....